



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4222]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2019/पौष 10, 1941

No. 4222]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2019/PAUSHA 10, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4724(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 19 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या का.आ. 670(अ) द्वारा ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 बनाए थे;

और, वर्ष, 2016 में आयोजित मॉन्टरीयल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन हेतु बहु-पक्षीय कोष की कार्यकारी समिति (का.स.) की 77वीं बैठक में यथाविनिश्चित मॉन्टरीयल प्रोटोकॉल के समायोजन के अनुसार ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों को चरण-बद्ध ढंग से समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु यथा-संशोधित उक्त नियमों को और संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से जनहित में अभिमुक्त होने के उपरांत, असतत सैंडविच पैनलों सहित सभी अन्य फोम उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त समूह-6 पदार्थों की चरणबद्ध समाप्ति को प्रवर्तित करने हेतु ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- उक्त नियमों के, नियम 5 में, उप-नियम 2क के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
“(2ख) तारीख 01 जनवरी, 2020 से एचसीएफसी-141ख के आयात के लिए अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना प्रतिषिद्ध किया जाएगा।”

3. उक्त नियम की अनुसूची-4 में, क्रम सं. 10 के सामने मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

क्र.सं.	कार्यकलापों के नाम	ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ के समूह का नाम	चरणबद्ध समाप्ति की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
(ग)	पूर्व-मिश्रित पोलियोल का विनिर्माण	समूह-VI	1-1-2020

4. उक्त नियम की अनुसूची-7 के अधीन टिप्पण में खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
“प्री-पॉलीमरों जिनमें समूह-6 पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाले पूर्व मिश्रित पोलियोल भी हैं।”

[फा. सं. 16/1/96-ओसी-पार्ट-III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना तारीख 19 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 670 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी:-

1. का.आ. 1283 (अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2001;
2. का.आ. 966 (अ), तारीख 27 अगस्त, 2003;
3. का.आ. 929 (अ), तारीख 16 अगस्त, 2004;
4. का.आ. 1391 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2005;
5. का.आ. 1561 (अ), तारीख 18 सितम्बर, 2007; और
6. का.आ. 1033 (अ), तारीख 13 मार्च, 2014 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 4724(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), made the Ozone Depleting Substances (Regulations and Control) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules) vide notification number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000;

And whereas, the said rules as amended need to be further amended to align with the accelerated phase-out of Ozone Depleting Substances (ODSs) as per the adjustment of the Montreal Protocol as decided at the 77th meeting of the Executive-Committee (Ex-Com) of the Multilateral Fund for implementation of the Montreal Protocol held in 2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, to enforce the phase out of Group VI substances used in manufacture of all other foam products including discontinuous sandwich panels, as stated in the said rules as amended by the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2014, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Rules, 2000, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in rule 5, after sub-rule 2A, the following sub-rule shall be inserted namely:-

“(2B) Issuance of license for import of HCFC-141b shall be prohibited from 1st January 2020.”.

3. In the said rules, in Schedule-IV, against serial number 10 for item (c) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

Sl.No.	Name of Activities	Name of Group of ozone depleting substance	Phase-out date
(1)	(2)	(3)	(4)
	“(c) Manufacture of pre-blended polyols	Group VI	1-1-2020”.

4. In the said rules, in the Note under Schedule-VII, after clause 2, the following clause shall be inserted, namely:-

“3. Pre-polymers include pre-blended polyols containing Group VI substances.”.

[F. No. 16/1/96-OC-Pt-III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 670(E), dated the 19th July, 2000 and subsequently amended *vide* :-

1. S.O. 1283(E), dated the 31st December, 2001;
2. S.O. 996(E), dated the 27th August, 2003;
3. S.O. 929(E), dated the 16th August, 2004;
4. S.O. 1391(E), dated the 26th September, 2005;
5. S.O. 1561(E), dated the 18th September, 2007; and
6. S.O. 1033(E), dated the 13th March, 2014.